संख्या-363/2023/1608/001-67-Budget-2021

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ:: दिनांक** 17 **अप्रैल**, **2023**

विषय:-मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद गोण्डा के विधाना सभा क्षेत्र गोण्डा में सगरा ताल समीप कुंज बिहारी मन्दिर परिसर में स्थित सरोवर व उसके भीतर स्थित पौराणिक महत्व के 37 कुओं का जीर्णोद्धार तथा विधान सभा क्षेत्र मनकापुर अयोध्या जी के बगल में स्थित विकास खण्ड नवाबगंज में कटरा कुटी धाम में चाहर दीवारी तथा सत्संग भवन कक्ष निर्माण सहित सौन्दर्यीकरण एवं मूलभूत सुविधाओं हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-9812/मु0मं0प0सं0यो0(14)/2020**,** दिनांक 22.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि जनपद गोण्डा के विधाना सभा क्षेत्र गोण्डा में सगरा ताल समीप कुंज बिहारी मन्दिर परिसर में स्थित सरोवर व उसके भीतर स्थित पौराणिक महत्व के 37 कुओं का जीर्णोद्धार तथा विधान सभा क्षेत्र मनकापुर अयोध्या जी के बगल में स्थित विकास खण्ड नवाबगंज में कटरा कुटी धाम में चाहर दीवारी तथा सत्संग भवन कक्ष निर्माण सहित सौन्दर्यीकरण एवं मूलभूत सुविधाओं हेतु शासनादेश सं0-148/2022/आई/150190/41-1002(001)/186/2021/67(बजट)/ 2021**,** दिनांक 26.03.2022 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	प्रायोजना का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति
1.	जनपद गोण्डा के विधाना सभा क्षेत्र गोण्डा में सगरा ताल समीप कुंज बिहारी मन्दिर परिसर में स्थित सरोवर व उसके भीतर स्थित पौराणिक महत्व के कुओं का 37 जीर्णोद्धार	30.72 लाख (जी0एस0टी0 सहित)	15.36
2.	जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर अयोध्या जी के बगल में स्थित विकास खण्ड नवाबगंज में कटरा कुटी धाम में चाहर दीवारी तथा सत्संग भवन कक्ष निर्माण सहित सौन्दर्यीकरण एवं मूलभूत सुविधाओं का विकास।	28.61 लाख (जी0एस0टी0 सहित)	14.31

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- पर्यटन निदेशालय के सन्दर्भगत पत्र दिनांक 22.03.2023 द्वारा उप निदेशक, पर्यटन, अयोध्या मण्डल, अयोध्या के पत्र दिनांक 20.03.2023 के साथ उक्त दोनों परियोजनाओं की 24 बिन्दुओं की सूचना, ई-स्टैम्प (**indemnity bond) जी0एस0टी0 मद में जमा की गयी धनराशि रू0 3,17,894.00,** गुणवत्ता प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट एवं जी0एस0टी0 मद में जमा की गयी धनराशि की छायाप्रति प्रेषित करते हुए द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दोनों परियोजनाओं हेतु उपलब्ध करायी गयी निविदा लागत पर 12.5 प्रतिशत सेन्टेज तथा 01 प्रतिशत लेबर सेस जोड़ते हुए कुल धनराशि में से निर्गत धनराशि को घटाने के उपरान्त अवशेष धनराशि को अवमुक्त किये जाने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	प्रायोजना का नाम	निविदा धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	निविदा लागत के आधार पर सेन्टेज, लेबर सेस सहित कुल धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि।
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	जनपद गोण्डा के विधाना सभा क्षेत्र गोण्डा में सगरा ताल समीप कुंज बिहारी मन्दिर परिसर में स्थित सरोवर व उसके भीतर स्थित पौराणिक महत्व के कुओं का 37 जीर्णोद्धार।	23.54	15.36	26.72	11.36
2.	जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर अयोध्या जी के बगल में स्थित विकास खण्ड नवाबगंज में कटरा कुटी धाम में चाहर दीवारी तथा सत्संग भवन कक्ष निर्माण सहित सौन्दर्यीकरण एवं मूलभूत सुविधाओं का विकास।	22.02	14.31	24.99	10.68
				कुल धनराशि	**22.04**
				जी0एस0टी0 मद में जमा की गयी धनराशि	**03.18**
				कुल अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	**25.22**

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 26.03.2022 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लिया गया है तथा निदेशालय द्वारा भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी भी दशा में प्रायोजना की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि का भुगतान न हो तथा निविदा लागत के सापेक्ष लेबर सेस, सेन्टेज, जी0एस0टी0 वास्तविक एवं उक्त के सापेक्ष अन्य मदों का वास्तविक व्यय का नियमानुसार अनुमन्य भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक),अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। प्रश्नगत प्रायोजना हेतु आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आवश्यकता से अधिक धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध नही करायी जायेगी।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था, पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 25,22,000 (रूपये पचीस लाख बाइस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-044 के लेखाशीर्षक 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव ।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्टस् कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5. निदेशक, उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण **(UPNEDA)**, लखनऊ, उ0 प्र0।
6. जिलाधिकारी, गोण्डा।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गोण्डा।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 व 11 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
10. उप निदेशक, पर्यटन, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
11. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्टस् कारपोरेशन लि0, यूनिट-22, गोण्डा।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
13. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।